प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 145/**2024** (अपील सूचना का अधिकार)

Narendra Singhvi Add: 66-K, Singhvi house, first floor, inside Saheliyon ki bari, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 05-12-2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329416258583166 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 21.08.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 3102836951 दिनांक 22.10.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/145/24/1165–66 दिनांक 22.10.2024 से लिखा गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक प.41/2/सू.अ.2005/प्र.अ.स. 145/2024/1105 दिनांक 25.10.2024 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 21.08.2024 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। इस क्रम में संबंधित अनुभाग द्वारा उपलब्ध सूचना प्रार्थी द्वारा व्यक्तिशः कार्यालय में उपस्थित होकर दिनांक 17.10.2024 मय हस्ताक्षरार्थ प्राप्त कर ली गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील निस्तारित करने की कृपा करावें।

अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि मेरे द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी से सूचना की सत्यापित/अधिप्रमाणित प्रतियां चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा जो सूचना उपलब्ध करवाई गई है वह अधिप्रमाणित नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मूझे चाही गई वांछित सूचना की अधिप्रमाणित प्रतियां दिलवायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब जरिये पत्रांक 1105 दिनांक 25.10.2024 अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय में दिनांक 17.10.2024 को व्यक्तिशः उपस्थित होकर वांछित सूचना प्राप्त कर ली गई। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी से सूचना की हस्ताक्षरित एवं अधिप्रमाणित प्रतियां चाही गई थी, परन्तु लोक सूचना

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

अधिकारी द्वारा जो सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई है वह बिना हस्ताक्षर के एवं अधिप्रमाणित नहीं है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश प्राप्ति की 15 दिवस के भीतर अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना हस्ताक्षरित एंव अधिप्रमाणित कर नियमानुसार निःशुल्क भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर